पीठासीन अधिकारी : – श्री प्रवीण कुमार (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

प्रार्थना–पत्र संख्या 90 / 2015 दायर तारीख 12.06.2015

अनवान्

1. गोविन्दलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी जाबदा तहसील बिजौलियां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.........प्रार्थी

बनाम्

1. गोपाललाल पिता तुलसीराम जाति धाकड उम्र बालिग निवासी जाबदा तहसील बिजौलियां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
2. भगवानलाल पिता पिता तुलसीराम जाति धाकड उम्र बालिग निवासी जाबदा तहसील बिजौलियां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0) (नाम हटाया गया)
3. राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां।

.......विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री घनश्याम धाकड अधिवक्ता प्रार्थी
एक तरफा विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू0रा0 अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक 07 / 07 / 2017

संक्षेप मे प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू0रा0 अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा स्थित आ0नं0 701 / 66 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वां भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है । उक्त आराजी नं0 701 / 66 रकबा 4–16 बीघा के साबिक आराजी नं0 32 थें। जिसका कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजी का बटवाडा किया जाकर नये नम्बर 66 एवं 701 / 66 कायम किये गये उक्त आराजी नं0 66 का रकबा 4–16 बीघा एवं आराजी नं0 701 / 66 का रकबा 4–16 बीघा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसमें से आराजी नं0 701 / 66 रकबा 4–16 बीघा भूमि हिस्से में आई है। उक्त आराजी नम्बरान को राजस्व नक्शे में आराजी नम्बरान के रकबे के अनुपात में तरमीम नही किया जाकर नक्शे मे लाईन को कम कर दिया गया जिस कारण नक्शे के हिसाब से आराजी नं0 701 / 66 का रकबा कम हो गया एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी नं0 66 का रकबा अधिक हो गया। जबकि आराजी नं0 701 / 66 एवं आराजी नं0 66 का रकबा राजस्व रेकार्ड में बराबर – बराबर है। प्रार्थी को इस बात की जानकारी तब हुई जब उसने दिनांक 02.03.2015 को उक्त आराजी की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त कि तो पता चला प्रार्थी को प्रार्थना पत्र हेतुक 02.03.2015 से उत्पन्न होकर सतत् जारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर आराजी नं0 701 / 66 रकबा 4–16 जो वर्तमान राजस्व नक्शे के हिसाब से कम है जिसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व नक्शे में आराजी नं0 701 / 66 एवं आराजी नं0 66 को बराबर – बराबर तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रकरण पत्र भिजवाये गये। विपक्षीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये। विपक्षी संख्या 2 फोत होना जाहीर आया अंकित प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 2 का नाम हटाये जाने बाबत् अंकित किया।

अंकित प्रार्थी ने बहस से पूर्व मौका रिपोर्ट मांगे जाने हेतु निवेदन किया जिस पर तहसीलदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार बिजौलियां ने मौका रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि ग्राम जवादा में खाता संख्या 21 पर अंकित आराजी नं0 66 रकबा 4–16 बीघा भूमि गोपाल पिता तुलसीराम धाकड सा0देह के नाम, आराजी नं0 701/66 रकबा 4–16 बीघा भूमि गोविन्दलाल पिता पन्नालाल धाकड सा0देह खातेदरान के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। राजस्व नक्शा लठ्‌ठा में उक्त दोनो आराजीयात का नक्शा उपलब्ध है। जिसका रकबा बरारी करने पर आराजी नं0 66 का रकबा 4–16 के मुकाबले 5–19 बीघा व आराजी नं0 701/66 रकबा 4–16 के मुकाबले 3–13 बीघा आता है इस प्रकार आराजी नं0 66 का रकबा नक्शे में जमाबन्दी में दर्ज के मुकाबले में 1–03 बीघा अधिक व आराजी नं0 701/66 का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे 4–16 के मुकाबले 1–03 बीघा कम आता है। इस प्रकार आराजी नं0 66 मे से 1–03 बीघा की तरमीम कम कर आराजी नं0 701/66 में मिलाने पर जमाबन्दी अनुरूप नक्शा किया जा सकता है। जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत/न्याय आपके द्वार केम्प थडोदा मे दिनांक 07.07.2017 को पेश हुई अप्रार्थी संख्या 1 को नोटिस तामील होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश हो चुके है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हटाये जाने का प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां को सुना गया एवं उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131 भू0रा0 अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा में स्थित आराजी नं0 701/66 एवं आराजी नं0 66 को जमाबन्दी मे दर्ज उनके रकबा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्व नक्शे में बराबर बराबर तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2017 को लिखाया जाकर राजस्व लोक अदालत/न्याय आपके द्वार केम्प थडोदा मे सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कैम्प थडोदा
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा